न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

JO Code No-UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1229/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–2659/2026

(CNR-UPLP-0100-5638-2026)

पवन उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र जमुना निवासी मो0 शुक्ला वार्ड कस्बा व थाना धौरहरा, जिला लखीमपुर–खीरी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध सं0–154/2026,
धारा–305(ए), 331(4), 317(2), 317(4)
बी0एन0एस0
थाना हैदराबाद, जिला खीरी।

24.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त पवन की ओर से मुकदमा अपराध सं0 154/2026, धारा 305(ए), 331(4), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0 थाना हैदराबाद, जिला खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा चन्द्र प्रकाश मिश्रा ने संबंधित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि वादी अपने परिवार में पुत्रों और बहुओं तथा बच्चों के साथ अलग–अलग कमरों में सोये हुये थे। दिनॉक–21.05.2026, की रात्रि में पीछे की खिड़की की ग्रिल तोड़कर अज्ञात चोर घर के अन्दर घुसकर अलमारी व बक्सो में रखे सोने चॉदी के काफी ज्यादा आभूषण तथा नगदी चोरी कर ले गये हैं। वादी काफी ज्यादा परेशान है, थाने पर सूचना रिपोर्ट को आया है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा–305ए, 331(4) बी0एन0एस0 में पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना प्रचलित है।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया

है। प्रार्थी/अभियुक्त को महज हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाया गया आरोप असत्य एवं निराधार है, कथित घटना जाली, फर्जी एवं साजिशी है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मुकदमें का नामित अभियुक्त नहीं है, उसका नाम प्रकाश में लाया गया है। कथित घटना की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से अथवा उसकी निशानदेही पर कोई बरामदगी नहीं हुयी है। यदि कोई बरामदगी दिखायी गयी है तो वह जाली, फर्जी एवं साजिशी है। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार हैं तथा जमानत पर छूटकर जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— अभियोजन की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का प्रबल विरोध करते हुये जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6— जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है अर्थात प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। पुलिस द्वारा सह अभियुक्त की निशादेही पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार करना तथा जामातलाशी पर उसके पास से सोने चांदी के जेवर की बरामदगी बतलायी गयी है परन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 02.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व मे स्वीकृत की जा चुकी है।

8— उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण—दोष पर राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर सशर्त रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त पवन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मु0 50,000/—रूपये का स्वबंधनामा तथा

समान राशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1—प्रार्थी/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

2—प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

3—प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

4—माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन—जी—2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभू के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभू के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

दिनांक—24.07.2026

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर—खीरी।

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.24 16:33:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court